प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

2017 की रिट याचिका (एस) संख्या 3926

1. थानेदार सिंह पिता रामानुज सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, सिपाही, निवासी वर्तमान में छठी बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. हसनुल्ला खान, पिता बरकतुल्ला खान, आयु लगभग 36 वर्ष, सिपाही, निवासी वर्तमान में तीसरी बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

3. दिनेश सिंह तोमर पिता बद्री सिंह तोमर, आयु लगभग 31 वर्ष, सिपाही, निवासी 12 वीं बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, रामानुजगंज, जिला सरगुजा (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ताओं

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नई रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) सचिव, के माध्यम से

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नई रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4. पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल–1, पुलिस मुख्यालय, नई रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरदाता

(कारण–शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्तागण हेतु : श्री वरुण कुमार चक्रवर्ती, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिएः श्री सुदीप अग्रवाल, उप महाधिवक्ता।

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

07.01.2022

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री वरुण कुमार चक्रवर्ती को सुना। उत्तरदाताओं की ओर से पेश उप महाधिवक्ता श्री सुदीप अग्रवाल को भी सुना गया।

2. यह रिट याचिका दिनांकित 30.03.2015 एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं, जो कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) हैं, को प्रशासनिक आवश्यकताओं पर उनके मूल स्थान पर भेजा गया था।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

3. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं को पहले अस्थायी आधार पर 'एम. टी. पूल' में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ताओं को सीधी भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के रूप में चुना गया था।

4. प्रत्यार्थियों ने अपना विवरणी दाखिल किया, जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न रिट याचिकाएं, अर्थात् 2015 की रिट याचिका (एस) संख्या 1229,2015 की 1227 और 2015 की 1226 को दायर करके उक्त आदेश पर हमला किया था और उक्त रिट याचिकाओं का निपटान दिनांक 09/04/2015 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने 15 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी, तो ऐसा प्राधिकरण उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार अभ्यावेदन का फैसला करेगा।

5. यह भी कहा गया है कि इसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा एक सामान्य अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विधिवत विचार किया गया और 25.05.2015 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले की रिट याचिका दायर करने को दबा दिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान रिट याचिका उक्त आदेश के पारित होने के 2 साल बाद दायर की गई और इसलिए, रिट याचिका केवल भौतिक तथ्यों के दमन और देरी और बाधाओं के आधार पर खारिज की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. जवाब के लिए कोई जवाबी–हलफनामा दायर नहीं किया गया है, जो 14.11.2017 को दायर किया गया था।

7. हमने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.04.2015 के आदेश का अवलोकन किया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है और इस तथ्य को दबा दिया है कि उन्होंने पहले इसी आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाले दिनांक 25.05.2015 के बाद के आदेश को भी चुनौती नहीं दी गई है।

8. याचिकाकर्ताओं ने पहले की रिट याचिकाओं में 30.03.2015 के आदेश पर हमला किया है, यह रिट याचिका, जिसमें उसी दिनांकित 30.03.2015 के आदेश को चुनौती दी गई है, अन्यथा भी, बनाए रखने योग्य नहीं है।

9. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

हस्ता /–
(अरूप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur